

निवेदन
4/9/19

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) मुकाम कोटा
 आहार, जिला-जालोर (राज.)
 जकराज बनाम तुलसीदास वैजरा
 किस्मत मुकदमा मूल प्रार्थना-पत्र सु.नं. 206/17 4/9/19 रद 4/9/19
 को परामर्श करने बाबत

तारीख हुकम	हुकम या कार्य वाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
28-8-19	<p>वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना-पत्र बाबत मूल प्रार्थना-पत्र सु.नं. 206/17 जकराज बनाम तुलसीदास को दिनांक 18-7-19 को अदालत के खर्चों के फलस्वरूप पुनः परामर्श करने हेतु यह प्रार्थना-पत्र पेश किया है। जो रजिस्टर्ड होकर वास्तु सुनवाई 16-9-19 को पेश है।</p> <p style="text-align: center;">(9)</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) आहार, जिला-जालोर (राज.)</p>	
4/9/19	<p>वकील प्रार्थी श्री केशव कुमार श्री परमेश्वर सुभाषी के प्रार्थना पत्र पर पगावली अजित शाखा से तलक की गई एवं पगावली का अयत्नपूर्ण (अथ) गया ना पाया गया मूल प्रार्थना पत्र को अदालत निवेदन आहार अजित कुमार तुलसीदास पु.नं. 206/17 को दि. 18/7/19 को अदालत के खर्चों की प्रार्थना करने के पुनः जीवित हेतु निवेदन करते हैं। अतः प्रार्थी वकील को सुना गया जिसमें अदालत ने मूल</p>	

तारीख
हुकम

प्रार्थना पत्र में अर्थात् निवेदन
जारी की हुई है कि उक्त
की आड में अर्थात् पक्ष
आरजो सुतनाजा में
सुई सुई करने की पुर्क
आशंका है कि उक्त पक्ष
पक्ष की पाकी उतराया
हो सकता है कि उक्त पुनः
रखीर करमाया जाके जिस
पक्ष बाद सुनने पक्ष पक्ष
को सहायुता पुर्क कर
करमाया जाके पुनः पक्ष
पत्र जसराज १२ पुनः १९/१९
सं. न. २०६/१७ को वि १९/१/१९
को विवे करमा पक्ष को
पुनः जीवित करते हुये नख
पक्ष को का आदेश दिया
जाता है कि उक्त पुनः अर्थात्
निवेदन का प्रार्थना पत्र को
ही नख पक्ष लिया जाके
पक्ष को पुनः सुनने हुये
पक्ष को दखल देना नख
से कर है।

सहायक जज (एस.डी.ओ.)
आसो, जिला-जसोर (राज.)

